उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः 19 फरवरी, 2014

संख्याः 763–अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2014–86017

कार्यालय ज्ञाप

सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) से अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) पद पर प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 07–08–2006 में, श्री पारस नाथ उपाध्याय (86017), सहायक अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रकरण लम्बित होने तथा प्रकरणों में आरोप पत्र निर्गत होने के कारण, उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखने का निर्णय लिया गया था।

2– तत्पश्चात् श्री उपाध्याय द्वारा तदर्थ प्रोन्नत किये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए विभागीय चयन समिति ने उनके प्रकरण मुहरबन्द लिफाफे में यथावत् बनाये रखते हुए उन्हें परिषदादेश सं0–1849–काविनी/राविप–29 दिनांक 08.10.1997 के बिन्दु–10 में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नति किये जाने हेतु अनुमोदित किया। तदनुसार कारपोरेशन के का0ज्ञा0सं0–101–अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2010 दिनांक 30–7–2010 द्वारा श्री पारस नाथ उपाध्याय को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) पद पर तदर्थ प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी। श्री उपाध्याय ने उक्त पद पर दिनांक 31–07–2010 (पूर्वान्ह) को कार्यभार ग्रहण कर लिया।

3– तत्पश्चात श्री पारस नाथ उपाध्याय के विरुद्ध पत्रावली सं0– 7(4)05सी/2000 में लम्बित प्रकरण में कारपोरेशन के का0ज्ञा0 3059–शि0जा0–05सी/2006 दिनांक 20.09.2006 द्वारा निन्दा प्रविष्टि का दण्ड प्रदान करते हुए तथा पत्रावली सं0–9–का/2002 में लम्बित प्रकरण में का0ज्ञा0सं0–117–अ0का0एवंसत्–05ए/पाकालि/2014 दिनांक 27.01.2014 द्वारा दोषमुक्त करते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया गया। तत्परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10–02–2014 को सम्पन्न बैठक में विभागीय चयन समिति ने श्री उपाध्याय के मुहरबन्द लिफाफों को खोलकर उन्हें दिनांक 07–08–2006 के चयन में अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

4– अतएव एतद्द्वारा श्री पारस नाथ उपाध्याय–86017 को, दिनांक 07–08–2006 को सम्पन्न चयन में चयनित एवं उनके कनिष्ठ श्री सत्येन्द्र कुमार सक्सेना–86021 के अधिशासी अभियन्ता की प्रोन्नति तिथि 21–02–2007 से अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि दिनांक 21–02–2007 से 31–07–2010 (पूर्वान्ह) (तदर्थ रूप से अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की तिथि) के बीच की अवधि के वेतन एवम् भत्तों का अवशेष अनुमन्य नहीं होगा।

5– यह भी आदेश किये जाते हैं कि का0ज्ञा0संख्या–440–काविनी/पाकालि–29/2000 दिनांक 1–6–2000 में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त प्रोन्नति की तिथि 21–02–2007 से की जायेगी।

5– श्री उपाध्याय को उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 को आवांटित किया जाता है तथा उनकी अधिशासी अभियन्ता पद पर तैनाती के आदेश उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किये जाएँगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 763(1) अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:–

1– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0 पा0 का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
4– मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
5– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
7– अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।
8– उप सचिव (प्रशिक्षण)/अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– उप सचिव (अ0प्र0–07), उप्रपाकालि, लखनऊ, को उनके पत्र संख्या 823–अ0प्र0–07 दिनांक 17.02.14 के सन्दर्भ में।
10- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,